खण्ड–513, अंक–01
गुरुवार, 29 माघ, शक संवत् 1942
(18 फरवरी, 2021 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2021)

(खण्ड-513 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्री-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची ... ... | 1-14 |
| उपस्थित सदस्य ... ... | 15-20 |
| राष्ट्रीय गीत ... ... | 21 |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ... | 21-41 |
| महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विलम्ब से प्रारम्भ होने का कारण बताते हुये दुबारा सत्राहूत कर अभिभाषण पुनः पढ़े जाने की मांग ... | 41-43 |
| उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 43 |
| उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 43 |
| उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 43 |
| उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 43 |
| उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 44 |
| राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 44 |
| उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 44 |
| उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 44 |
| उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 44-45 |
| उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 45 |
| उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 45 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 45 |
| उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 45-46 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 46 |
| उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 46 |
| उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 46 |
| उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 46-47 |
| उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 47 |
| उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 47 |
| उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 47 |
| उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 47-48 |
| उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 48 |
| उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 48 |
| उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 48 |
| उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 48-49 |
| उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 49 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 49 |
| उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 49 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 49-50 |
| उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 50 |
| उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 50 |
| कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 50 |
| भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 50-51 |
| उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 51 |
| कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 51 |
| उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 51 |
| उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्ध और निस्तारण) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... | 51 |
| उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... | 52 |
| उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 52 |
| उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 52 |
| उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 52-53 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... | 53 |
| उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 53 |
| उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 53 |
| उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 53-54 |
| उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 54 |
| उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 54 |
| उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन विधेयक, 2020) (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 54 |
| उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... | 54-55 |
| उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... | 55 |
| उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 55 |
| उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 55 |
| उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 55-56 |
| उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 56 |
| उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 56 |
| उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 56 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 56-57 |
| उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... | 57 |
| उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 57 |
| कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 57 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... | 57-60 |
| उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ... | 60 |
| कोरोना महामारी के दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया को कोरोना प्रोटोकाल के अन्तर्गत सदन में प्रवेश की अनुमति दिये जाने की मांग ... | 60-62 |


---

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'' कुंवर — गोण्डा
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
14. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
15. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
16. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
17. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
18. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
21. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
22. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
23. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
24. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
25. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
26. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
27. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
28. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
29. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
30. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
31. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
32. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
33. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
34. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
35. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
36. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
38. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
39. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40. असलम अली, श्री — हापुड़
41. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
43. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
44. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
45. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
46. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
47. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
48. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
49. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
50. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
51. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
52. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
53. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
54. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद

55. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
58. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओमकुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
62. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
63. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
64. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
65. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
66. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
67. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
68. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
69. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
70. काली प्रसाद, श्री देवरिया
71. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
72. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
73. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
75. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
76. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
77. केसर सिंह, श्री बरेली
78. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
79. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
80. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
81. गंगा, श्री कुशीनगर
82. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
83. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
84. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
85. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
86. गौरी शंकर, श्री जालौन
87. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
88. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
89. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
90. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
91. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
92. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
93. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
94. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
95. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
96. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
97. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
98. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
99. जयमंगल, श्री महाराजगंज
100. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
101. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
102. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
103. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
104. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
105. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
106. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
107. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
108. तजीन फातमा, डा0 रामपुर
109. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
110. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
111. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
112. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
113. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
114. दल बहादुर, श्री रायबरेली
115. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
116. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
117. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
118. दिनेश खटीक, श्री मेरठ

119. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
120. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
121. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
122. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
123. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
124. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
125. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
126. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
127. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
128. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
129. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
130. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
131. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
132. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
133. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
134. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
135. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
136. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
137. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
138. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
139. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
140. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
141. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
142. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
143. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
144. नाहिद हसन, श्री शामली
145. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
146. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
147. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
148. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
149. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
150. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
151. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
152. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
153. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
154. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
155. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
156. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
157. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
158. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
159. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
160. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
161. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
162. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
163. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
164. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
165. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
166. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
167. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
168. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
169. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
170. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
171. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
172. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
173. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
174. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
175. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
176. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
177. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद

178. बाबूराम पासवान, श्री पीलीभीत
179. बावन सिंह, श्री गोण्डा
180. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
181. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
182. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
183. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
184. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
185. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
186. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
187. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
188. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
189. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
190. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
191. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
192. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
193. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
194. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
195. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
196. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
197. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
198. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
199. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
200. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
201. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
202. महबूब अली, श्री अमरोहा
203. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
204. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
205. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
206. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
207. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
208. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
209. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
210. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
211. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
212. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
213. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
214. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
215. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
216. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
217. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
218. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
219. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
220. यासर शाह, श्री बहराइच
221. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
222. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
223. योगेश धामा, श्री बागपत
224. योगेश वर्मा, श्री खीरी
225. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
226. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
227. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
228. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
229. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
230. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
231. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
232. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
233. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
234. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
235. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
236. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
237. रवि शर्मा, श्री झांसी
238. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी

239. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
240. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
241. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
242. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
243. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
244. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
245. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
246. राज करन कबीर, श्री बांदा
247. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
248. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
249. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
250. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
251. राजबाला, श्रीमती रामपुर
252. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
253. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
254. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
255. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
256. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
257. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
258. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
259. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
260. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
261. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
262. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
263. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
264. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
265. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
266. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
267. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
268. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
269. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
270. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
271. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
272. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
273. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
274. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
275. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
276. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
277. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
278. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
279. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
280. लकी यादव, श्री जौनपुर
281. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
282. लाखन सिंह, श्री औरैया
283. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
284. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
285. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
286. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
287. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
288. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
289. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
290. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
291. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
292. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
293. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
294. विजय मिश्र, श्री भदोही
295. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
296. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
297. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
298. विनय शाक्य, श्री औरैया
299. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
300. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
301. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
302. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
303. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
304. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर

305. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
306. वीरेन्द्र, श्री एटा
307. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
308. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
309. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
310. शशांक वर्मा, श्री खीरी
311. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
312. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
313. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
314. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
315. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
316. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
317. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
318. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
319. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
320. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
321. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
322. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
323. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
324. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
325. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
326. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
327. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
328. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
329. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
330. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
331. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
332. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
333. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
334. संजय, श्री बुलन्दशहर
335. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
336. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
337. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
338. संजय यादव, श्री बलिया
339. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
340. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
341. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
342. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
343. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
344. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
345. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
346. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
347. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
348. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
349. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
350. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डु बाबू, डा0 देवरिया
351. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
352. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
353. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
354. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
355. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
356. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
357. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
358. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
359. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
360. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
361. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
362. सुचि, श्रीमती बिजनौर
363. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
364. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद

365. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
366. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
367. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
368. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
369. सुभाष राय, श्री अम्बेडकर नगर
370. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
371. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
372. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
373. सुरेश कुमार, श्री शामली
374. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
375. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
376. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
377. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
378. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
379. सुरेश राही, श्री सीतापुर
380. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
381. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
382. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
383. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
384. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
385. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
386. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
387. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
388. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
389. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
390. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
391. सौरभ सिंह, श्री खीरी
392. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
393. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
394. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
395. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
396. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
397. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
398. हरीराम, श्री सोनभद्र
399. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
400. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
401. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
402. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
403. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव
404. *रिक्त

* श्री अब्दुल्ला आजम खां, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-34, स्वार, जिला-रामपुर की दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से निर्वाचन रद्द घोषित हो जाने के फलस्वरूप रिक्त।

**महामहिम राज्यपाल**
**श्रीमती आनन्दीबेन पटेल**
**मंत्री-परिषद्**

| क्रमांक | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री योगी आदित्यनाथ<br>मुख्य मंत्री | गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भू-तत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर एवं निबन्धन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, मुख्य मंत्री कार्यालय, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप, प्रोटोकाल, प्राविधिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल तथा नागरिक सुरक्षा। |
| 2 | श्री केशव प्रसाद मौर्य<br>उप मुख्य मंत्री | लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर तथा सार्वजनिक उद्यम। |
| 3 | डा0 दिनेश शर्मा<br>उप मुख्य मंत्री | माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी। |
| 4 | श्री सूर्य प्रताप शाही | कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान। |
| 5 | श्री सुरेश कुमार खन्ना | वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा। |
| 6 | श्री स्वामी प्रसाद मौर्य | श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय। |
| 7 | श्री सतीश महाना | औद्योगिक विकास। |
| 8 | श्री दारा सिंह चौहान | वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान। |
| 9 | श्री रमापति शास्त्री | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण। |
| 10 | श्री जय प्रताप सिंह | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण। |
| 11 | श्री ब्रजेश पाठक | विधायी एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा। |
| 12 | श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी | पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास। |
| 13 | श्री श्रीकान्त शर्मा | ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। |
| 14 | श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह<br>(मोती सिंह) | ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास। |

| क्रमांक | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 15 | श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह | खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 तथा निवेश प्रोत्साहन। |
| 16 | श्री मुकुट बिहारी वर्मा | सहकारिता। |
| 17 | श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'' | नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन। |
| 18 | श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'' | नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज। |
| 19 | डा0 महेन्द्र सिंह | जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण। |
| 20 | श्री सुरेश राणा | गन्ना विकास एवं चीनी मिलें। |
| 21 | श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी | पंचायती राज। |
| 22 | श्री अनिल राजभर | पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण। |
| 23 | श्री राम नरेश अग्निहोत्री | आबकारी एवं मद्य निषेध। |

## राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

| क्रमांक | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | श्री उपेन्द्र तिवारी | खेल एवं युवा कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायती राज (MOS)। |
| 2 | डा0 धरम सिंह सैनी | आयुष विभाग (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (MOS)। |
| 3 | श्रीमती स्वाती सिंह | महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार। |
| 4 | डॉ0 नीलकंठ तिवारी | पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य (स्वतंत्र प्रभार), प्रोटोकाल (MOS)। |
| 5 | श्री कपिलदेव अग्रवाल | व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास। |
| 6 | डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी | बेसिक शिक्षा। |
| 7 | श्री अशोक कटारिया | परिवहन विभाग (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य (MOS)। |
| 8 | श्री श्रीराम चौहान | उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात। |
| 9 | श्री रविन्द्र जायसवाल | स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन। |

## राज्य मंत्री

| क्रमांक | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्रीमती गुलाब देवी | माध्यमिक शिक्षा। |
| 2 | श्री जयप्रताप निषाद | पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास। |
| 3 | श्री जय कुमार सिंह जैकी | कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन। |
| 4 | श्री अतुल गर्ग | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण। |
| 5 | श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह) | खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति। |
| 6 | श्री मोहसिन रजा | अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज। |
| 7 | श्री गिरीश चन्द्र यादव | आवास एवं शहरी नियोजन। |
| 8 | श्री बल्देव ओलख | जल शक्ति। |
| 9 | श्री मनोहर लाल मन्नु कोरी | श्रम एवं सेवायोजन। |
| 10 | श्री संदीप सिंह | वित्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा। |
| 11 | श्री सुरेश कुमार उर्फ सुरेश पासी | गन्ना विकास एवं चीनी मिलें। |
| 12 | श्री अनिल शर्मा | वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान। |
| 13 | श्री महेश चन्द्र गुप्ता | नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन। |
| 14 | श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला | संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास। |
| 15 | श्री विजय कश्यप | राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण। |
| 16 | डा0 जी0एस0 धर्मेश | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण। |
| 17 | श्री लाखन सिंह राजपूत | कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान। |
| 18 | श्रीमती नीलिमा कटियार | उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। |
| 19 | श्री चौधरी उदयभान सिंह | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन। |
| 20 | श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय | लोक निर्माण। |
| 21 | श्री रमा शंकर सिंह पटेल | ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। |
| 22 | श्री अजीत सिंह पाल | इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी। |

नेता, विरोधी दल

## श्री राम गोविन्द चौधरी

# उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

**अध्यक्ष**

**श्री हृदय नारायण दीक्षित**

**उपाध्यक्ष**

**रिक्त**

**प्रमुख सचिव**

**श्री प्रदीप कुमार दुबे**

## अधिष्ठाता मण्डल (2020-2021)

1-श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़),
2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),
3-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),
4-श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा (फिरोजाबाद),
5-श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा (मथुरा),
6-श्री फतेह बहादुर, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),
7-श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी),
8-श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर),
9-श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सदस्य, विधान सभा (अमेठी),
10-डॉ0 अरुण कुमार, सदस्य, विधान सभा (बरेली)।

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सत्रहवीं विधान सभा

---

गुरुवार, दिनांक 18 फरवरी, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

**उपस्थित सदस्य-338**

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
3. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
4. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भैया'' कुंवर गोण्डा
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
7. अजीत सिंह पाल, श्री कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
9. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, डा0 सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
13. अनीता, श्रीमती अम्बेडकरनगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
16. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
17. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
18. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
19. अमन मणि त्रिपाठी, श्री महाराजगंज
20. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
21. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
22. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
23. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
24. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
25. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
26. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
27. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
28. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) वाराणसी
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
30. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
31. असलम अली, श्री हापुड़
32. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
33. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
34. आनन्द शुक्ला, श्री चित्रकूट
35. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
36. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
37. आलमबदी, श्री आजमगढ़
38. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री हरदोई
39. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
40. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
41. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
42. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
43. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
44. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
45. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया

46. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री कानपुर नगर
47. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
48. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
49. उषा सिरोही, श्रीमती बुलन्दशहर
50. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
51. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
52. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
53. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
54. कमलेश सैनी, श्री बिजनौर
55. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
56. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
57. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
58. काली प्रसाद, श्री देवरिया
59. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
60. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
61. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
62. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
63. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
64. केसर सिंह, श्री बरेली
65. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
66. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
67. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
68. गंगा, श्री कुशीनगर
69. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
70. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
71. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
72. गौरी शंकर, श्री जालौन
73. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
74. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
75. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
76. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
77. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
78. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
79. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
80. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
81. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
82. जयमंगल, श्री महाराजगंज
83. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
84. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
85. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
86. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
87. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
88. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
89. तजीन फातमा, डा0 रामपुर
90. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
91. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
92. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
93. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
94. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
95. दल बहादुर, श्री रायबरेली
96. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
97. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
98. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
99. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
100. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
101. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
102. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
103. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
104. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
105. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
106. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया

107. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
108. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
109. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
110. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
111. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
112. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
113. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
114. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
115. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
116. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
117. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
118. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
119. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
120. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
121. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
122. नाहिद हसन, श्री शामली
123. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
124. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
125. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
126. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
127. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
128. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
129. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
130. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
131. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
132. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
133. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
134. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
135. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
136. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
137. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
138. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
139. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
140. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
141. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
142. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
143. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
144. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
145. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
146. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
147. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
148. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
149. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
150. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
151. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
152. बावन सिंह, श्री गोण्डा
153. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
154. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
155. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
156. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
157. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
158. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
159. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
160. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
161. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
162. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
163. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
164. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
165. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
166. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
167. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
168. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
169. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
170. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली

171. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
172. महबूब अली, श्री अमरोहा
173. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
174. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
175. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
176. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
177. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
178. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
179. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
180. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
181. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
182. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
183. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
184. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
185. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
186. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
187. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
188. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
189. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
190. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
191. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
192. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
193. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
194. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
195. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
196. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
197. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
198. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
199. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
200. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
201. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
202. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
203. राजकरन कबीर, श्री बांदा
204. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
205. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
206. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
207. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
208. राजबाला, श्रीमती रामपुर
209. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
210. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
211. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
212. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
213. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
214. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
215. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
216. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
217. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
218. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
219. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
220. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
221. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
222. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
223. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
224. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
225. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
226. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
227. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
228. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
229. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
230. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
231. लकी यादव, श्री जौनपुर
232. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
233. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
234. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर

235. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
236. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
237. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
238. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
239. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
240. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
241. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
242. विजयपाल आढ़ती, श्री हापुण
243. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
244. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
245. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
246. विनय शाक्य, श्री औरैया
247. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
248. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
249. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
250. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
251. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
252. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
253. वीरेन्द्र, श्री एटा
254. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
255. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
256. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
257. शशांक वर्मा, श्री खीरी
258. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
259. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
260. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
261. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
262. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
263. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
264. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
265. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
266. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
267. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
268. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
269. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
270. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
271. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
272. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
273. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
274. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
275. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
276. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
277. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
278. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
279. संजय यादव, श्री बलिया
280. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
281. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
282. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
283. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
284. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
285. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
286. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
287. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
288. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
289. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
290. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डा0 देवरिया
291. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
292. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
293. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
294. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
295. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
296. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
297. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
298. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
299. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
300. सुचि, श्रीमती बिजनौर
301. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर

302. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
303. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
304. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
305. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
306. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
307. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
308. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
309. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
310. सुरेश कुमार, श्री शामली
311. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
312. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
313. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
314. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
315. सुरेश राही, श्री सीतापुर
316. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
317. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
318. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
319. सुशील सिंह, कुं0 चन्दौली
320. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
321. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
322. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
323. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
324. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
325. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
326. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
327. सौरभ सिंह, श्री खीरी
328. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
329. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
330. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
331. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
332. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
333. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
334. हरीराम, श्री सोनभद्र
335. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
336. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
337. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
338. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

**नोट** :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ) भी सदन में उपस्थित थे।

## [12:30 बजे] राष्ट्रीय गीत

**श्री अध्यक्ष-**

अब हम वन्दे मातरम् के लिए उठते हैं।

**वन्दे मातरम्**

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

**श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ**

**श्री अध्यक्ष-**

आज माननीय राज्यपाल जी ने यहां दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र हेतु...

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आहूत समवेत् अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन है। इस अवसर पर मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि नव वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो।

यह हमारे लिए अत्यन्त दुःखद है कि विधान सभा के माननीय सदस्य और मंत्री श्री चेतन चौहान व श्रीमती कमल रानी वरुण तथा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री श्रीराम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं इन दिवंगत सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।

आप सब अवगत हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना ने सम्पूर्ण विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। हमारा देश व प्रदेश भी इस महामारी की चपेट में आया किन्तु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कौशल, संवेदनशीलता एवं सामूहिक भावना के साथ कोरोना संक्रमण को अत्यन्त प्रभावी रूप से नियन्त्रित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी व विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी की है। मेरी सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्ण लॉकडाउन के दौरान समस्त आवश्यक कार्यों की निरन्तरता को प्रभावित किए बिना प्रदेश के समस्त सरकारी कार्मिकों के वेतन का भुगतान अबाधित रूप से किया गया।

प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जाँच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील हैं। कोविड जाँच की क्षमता को शून्य से 2 लाख प्रतिदिन तक पहुँचाने, कोविड रोगियों हेतु 1.5 लाख से अधिक बेड्स एवं प्रत्येक जनपद में आई0सी0यू0 की व्यवस्था कर हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाने एवं कोरोना प्रबन्धन में मेरी सरकार ने जो कार्य किया है, उसकी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गयी है।

वर्तमान में कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए वृहद् स्तर पर कोरोना टीकाकरण प्रगति पर है। हमारे देश ने दो स्वदेशी वैक्सीन लांच किए हैं, जिन्हें देश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण में उपयोग के साथ-साथ अन्य मित्र देशों को भी प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों/श्रमिकों ने अपने गृह जनपद हेतु प्रस्थान किया। मेरी सरकार द्वारा उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों के माध्यम से लगभग 40 लाख प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक भेजने, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गईं। प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन के उपयोग हेतु राशन किट वितरण के साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में प्रति श्रमिक एक हजार रुपये की धनराशि भी ऑनलाइन हस्तान्तरित की गई।

राजस्थान के जनपद कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 12 हजार से अधिक छात्र/छात्राओं एवं जनपद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लगभग 14 हजार छात्र/छात्राओं को भी सकुशल उनके गृह जनपदों तक पहुँचाने का कार्य किया गया।

कोरोना संकट के दौरान कानून-व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं लोक स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्धाओं के अप्रतिम योगदान को मैं नमन करती हूँ। उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्धाओं जिन्होंने इस अभियान में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।

मेरी सरकार ने कोरोना काल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पूज्य संतों तथा अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शुभारम्भ कुशलता पूर्वक सम्पन्न किया जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व देश की न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 'अयोध्या : उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर' नामक प्रदेश की भव्य झाँकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अयोध्या में तीन दिवसीय तथा वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्सवों का आयोजन भी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

मेरी सरकार प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत स्टार्ट-अप, युवा उद्यमिता, नवाचार तथा मेक इन यू0पी0 को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियाँ भविष्योन्मुखी हैं तथा 'सबका साथ सबका विकास' के विजन का अनुसरण करते हुए समावेशी, सतत् एवं संतुलित विकास के उद्देश्य से लागू की गई हैं।

मेरी सरकार ने अपनी कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यों से जन-जन में लोकप्रियता प्राप्त की है। सरकार की कार्यशैली से प्रदेश में हुए बदलाव को प्रदेश की जनता ने न केवल देखा है, वरन् अनुभव भी कर रही है। कोरोना संकट के पश्चात् प्रदेश एक नई ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने को तैयार है।

निवेश को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता, कानून व्यवस्था में निरन्तर सुधार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु आयोजित उ0प्र0 इन्वेस्टर समिट के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा समिट में रु0 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से लगभग रु0 3.00 लाख करोड़ की परियोजनाएं सक्रिय रूप से संचालित हो गई हैं। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने हेतु 27 विभागों के साथ 'निवेश मित्र' पोर्टल की स्थापना की गयी थी, जिसमें अब तक 227 सेवाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। कोरोना कालखण्ड में निवेश आकर्षित करने हेतु इन्वेस्ट यूपी के अन्तर्गत हेल्पडेस्क स्थापित की

गई थी, जिसके फलस्वरूप अब तक 56 परियोजनाओं हेतु रु0 45 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण यूपीडा के माध्यम से कराया जा रहा है जिसकी लम्बाई लगभग 340 कि0मी0 है। इस एक्सप्रेस-वे पर आपात स्थिति में वायु सेना के लड़ाकू विमानों की लैण्डिंग/टेक-ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 कि0मी0 हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है।

लगभग 296 कि0मी0 लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना का निर्माण भी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने हेतु गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्णता की ओर अग्रसर है। जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी प्रारम्भ होने की स्थिति में है तथा भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारम्भ हो चुकी है।

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में विश्व स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास कराया जा रहा है जिसकी भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक निवेश हेतु महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कुशीनगर हवाई-अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु लगभग तैयार हो चुका है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे-लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतमबुद्ध नगर व अयोध्या में हो जाएंगे। वर्तमान में 07 हवाई अड्डे लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज व हिण्डन क्रियाशील हैं तथा बरेली से उड़ानें 8 मार्च, 2021 से शुरू हो रही हैं। इसके अतिरिक्त 4 हवाई अड्डों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती व मुरादाबाद में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा यह लाइसेन्सिंग की प्रक्रिया में हैं। अग्रेतर सोनभद्र व चित्रकूट में निर्माण कार्य चल रहा है तथा सहारनपुर, झांसी, मेरठ व ललितपुर में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रशस्त है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में निवेश व रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 में रु0 20 हजार करोड़ के निवेश तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 03 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 03 वर्षों में ही अर्जित कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 अधिसूचित की गई है, जिसके अन्तर्गत 05 वर्षों में रु0 40 हजार करोड़ के निवेश तथा 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। ई-टेण्डरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। टेण्डरिंग प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप को समाप्त करने

के लिए प्रदेश में मई, 2017 से 10 लाख से ऊपर की सभी निविदाओं को ई-टेण्डरिंग माध्यम से आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर पर एक डी0बी0टी0 पोर्टल विकसित किया गया है जिस पर 27 विभागों की 130 योजनाओं को ऑनबोर्ड किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 56 हजार 7 करोड़ से अधिक की धनराशि डी0 बी0 टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 प्रख्यापित किया गया है जिसके अन्तर्गत उद्यम स्थापना, विस्तारीकरण एवं विविधीकरण की अनेक प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है। अब उद्यमी को 1,000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी। बैंकों से समन्वय कर प्रदेश के लगभग 1 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को लगभग रु0 3,000 करोड़ के ऋण वितरित कराकर लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत लाखों कारीगरों को ई-मार्केट से जोड़ा गया है तथा 16 जनपदों में कॉमन फैसिलिटी सेन्टर स्थापित हो रहे हैं। योजना के अन्तर्गत आयोजित 04 आनलाइन मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को रु0 30 हजार करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से सम्बन्धित उत्पादों में प्रदेश आत्म निर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीव्र गति से अग्रसर है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश को एक प्रमुख निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित किए जाने का कार्य किया जा रहा है तथा इसी क्रम में निर्यात नीति 2020-25 का प्रख्यापन किया गया है। सरकार की नीतियों के सुगम, त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन व प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों के प्रयासों से प्रदेश का निर्यात वर्ष 2017-2018 में रु0 88 हजार 966 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में रु0 01 लाख 20 हजार 356 करोड़ पहुँच गया है तथा प्रदेश निर्यात के एक 'हब' के रूप में विकसित हुआ है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं व पारम्परिक कारीगरों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार मिल रहा है। राज्य के श्रमिकों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित है।

प्रदेश के विकास को त्वरित गति प्रदान करने में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका है। ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। मार्च, 2017 से अब तक 110 पारेषण उपकेन्द्रों व तत्सम्बन्धी लाइनों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है, 656 नए 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा

1,216 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी गई है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घण्टे 30 मिनट व गाँवों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत 1,272 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है तथा लगभग 1,019 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1,470 मेगावाट सौर ऊर्जा के ओपेन एक्सेस के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर प्लाण्ट स्थापित किए गए हैं।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, समग्र ग्राम विकास योजना तथा प्रोजेक्टर बोर्ड के अन्तर्गत चयनित बाजारों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु कुल मिलाकर सोलर स्ट्रीट लाइट के 62,460 संयन्त्रों की स्थापना कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 121.32 लाख मजरों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कुल 138.01 लाख विद्युत संयोजन दिए गए हैं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसके लिए जीरो टालरेन्स की नीति अपनाई गई है। प्रदेश के 10 कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके व उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेन्सों का निरस्तीकरण कराया गया तथा अब तक लगभग 1 हजार करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों का जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने की कार्यवाही की गयी है। अब तक विभिन्न प्रकार के माफियाओं में से 1019 को गिरफ्तार किया गया है तथा पुलिस के भारी दबाव के कारण कई माफियाओं ने माननीय न्यायालयों में आत्मसमर्पण कर दिया है।

वर्ष 2020 में शस्त्र अधिनियम में 35,437, जुआ अधिनियम में 14,637, एन0डी0पी0एस0 अधिनियम में 11,377, आबकारी अधिनियम में 82,520, गुण्डा अधिनियम में 33,537, गैंगस्टर अधिनियम में 4,402, रासुका में 220 तथा गोवध अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत 68,12,310 मामलों में कार्यवाही की गई है।

महिला सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2020 में क्रमशः दहेज मृत्यु में 7.96, बलात्कार में 18.93, शीलभंग में 20.02, अपहरण में 26.47 तथा पारिवारिक महिला उत्पीड़न में 13.41 प्रतिशत की कमी आयी है। प्रदेश में हत्या की घटनाओं में निरन्तर कमी आयी है तथा वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 में 25.88% की कमी हुई है।

पुलिस आधुनिकीकरण हेतु कई कदम उठाए गए हैं। पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, अपराधियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण व कानून व्यवस्था पर कड़ी निगाह रखने हेतु प्रत्येक जनपद को एक-एक ड्रोन दिया गया है। प्रदेश में रेन्ज स्तर

पर फोरेन्सिक लैब स्थापित की जा रही हैं। साइबर अपराधों की रोक-थाम हेतु कुल 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों की स्थापना की गयी है तथा पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है। पुलिस बल में लगातार भर्ती की कार्यवाही जारी है जिसके अन्तर्गत 20 प्रतिशत महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अब तक लगभग 01 लाख 37 हजार से अधिक पदों पर भर्तियाँ की गई हैं। पुलिस/अग्निशमन कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास निर्मित कर आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है।

सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत प्रदेश में ई-चालान की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। सरकार के प्रयासों से वर्ष 2020 में विगत वर्ष के सापेक्ष सड़क दुर्घटनाओं में 19 प्रतिशत तथा मृत्यु में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

होमगार्ड्स संगठन की पुलिस बल के सहयोगी बल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण हेतु रु0 10 करोड़ से उत्तर प्रदेश होमगार्ड कल्याण कोष की स्थापना की गयी है, जिसके ब्याज से प्राप्त होने वाली आय से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त ड्यूटीरत् होमगार्ड्स का 24 घण्टे का दुर्घटना बीमा कराया गया है, जिसके अन्तर्गत मृत्यु पर रु0 5.00 लाख तथा घायल होने पर रु0 2.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रदेश की जेलों का आधुनिकीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। प्रदेश की 70 कारागारों व 73 जनपदीय न्यायालयों में स्थापित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाइयों के माध्यम से विचाराधीन बंदियों के रिमाण्ड की कार्यवाही करायी जा रही है।

कारागारों की सुरक्षा एवं बंदियों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु 24 कारागारों में जैमर एवं 2800 से अधिक सी0सी0टी0वी0 कैमरे तथा कारागार मुख्यालय में वीडियो वाल/कमाण्ड सेन्टर की स्थापना की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला न्यायाधीश स्तर के 74 परिवार न्यायालयों का गठन करते हुए प्रदेश के 75 में से 74 जिलों में इन न्यायालयों का गठन किया जा चुका है। मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण हेतु 42 आवासों के निर्माण हेतु लगभग रु0 150 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मल्टी लेवल पार्किंग एवं अधिवक्ता चैम्बर हेतु रु0 574 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी गई है।

अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय कक्ष, सुरक्षा, कम्प्यूटरीकरण एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु रु0 250 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। युवा अधिवक्ताओं को पुस्तकों एवं पत्रिका आदि के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

कृषि प्रदेश के अधिकांश लोगों की जीविका का साधन है, खाद्यान्न के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। वर्ष 2019-20 में 599.81 मी0 टन लक्ष्य के सापेक्ष 601.84 लाख मी0 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है।

कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत अब तक 240 लाख किसानों को रु0 27 हजार 134 करोड़ से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्ष 2020 के मई माह में मध्य प्रदेश व राजस्थान से उत्तर प्रदेश में टिड्डी दलों का आक्रमण प्रारम्भ हुआ, परन्तु सरकार के समन्वित प्रयासों तथा किसानों के सक्रिय सहयोग से टिड्डी दलों के आक्रमण को विफल कर दिया गया तथा फसलों को कोई क्षति नहीं हुई।

प्रदेश में मण्डी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाइसेन्स व मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है जिससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं। कोरोना काल के दौरान फल एवं सब्जी किसानों के हित में 45 कृषि जिन्सों को गैर अधिसूचित कर मण्डी शुल्क समाप्त कर किसानों को भारी राहत पहुंचाई गई है।

प्रदेश में कृषि अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत सेन्टर्स आफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जा रही है। कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद गोण्डा में एक नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है तथा जनपद लखीमपुर खीरी तथा आजमगढ़ में नवस्थापित कृषि महाविद्यालयों को क्रियाशील किया गया है। कृषि शोध के विस्तार हेतु 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिनमें से 15 केन्द्र संचालित हो चुके हैं।

कृषकों को ऋण एवं कृषि निवेश उपलब्ध कराने में सहकारी क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रदेश में कृषि निवेश योजना के अन्तर्गत 8,496 सहकारी समितियों द्वारा सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उर्वरक एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत खरीफ अभियान-2020 में उर्वरक वितरण के कुल निर्धारित लक्ष्य 12.90 लाख मी0 टन के सापेक्ष 18.38 लाख मी0 टन उर्वरक का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से हुआ।

रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5,896 क्रय केन्द्र स्थापित कर 6.63 लाख किसानों से 35.76 लाख मी0 टन गेहूँ क्रय किया गया जिसके सापेक्ष रु0 6,885.16 करोड़ का भुगतान किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 50 लाख मी0 टन लक्ष्य के सापेक्ष 56.57 लाख मी0 टन धान की रिकार्ड खरीद की गयी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्रय केन्द्र तब तक संचालित रहें जब तक कोई भी किसान अपना गेहूँ अथवा धान केन्द्र पर लाना चाहता है। अब तक रिकार्ड 65.5 लाख मी0 टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को 5 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना से अब तक लगभग 4 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जा

चुका है, भारत सरकार की 'वन नेशन वन कार्ड' योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई, 2020 से लागू कर दी गई है।

चीनी उद्योग प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। विगत पेराई सत्र 2019-20 में कुल गन्ना क्षेत्रफल 26.79 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 126.37 लाख मी0 टन चीनी का उत्पादन किया गया। मेरी सरकार द्वारा अब तक लगभग 01 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है जिससे 45.44 लाख गन्ना किसान लाभान्वित हुए। नई ऑनलाइन खाण्डसारी लाइसेन्सिंग नीति के अन्तर्गत 264 नई खाण्डसारी इकाइयों हेतु लाइसेन्स निर्गत हुए, जिनमें से 168 इकाइयां संचालित हैं। कोविड काल के दौरान कोई भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। किसानों के सहयोग से सफलतापूर्वक गन्ने की पेराई की गयी तथा गन्ना उपज की कोई हानि नहीं हुई, किसी चीनी मिल परिसर में कोई भी किसान कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ।

दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, दुग्ध उत्पादकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करने एवं दुधारू पशुओं के रख-रखाव हेतु प्रोत्साहित कर अधिक दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 'गोकुल पुरस्कार' एवं भारतीय गोवंश की गाय से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक को 'नन्द बाबा' पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति-2018 क्रियान्वित की जा रही है। अग्रेतर प्रदेश में खुरपका-मुँहपका रोग के नियन्त्रण हेतु इस वित्तीय वर्ष में 520.36 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 445.07 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु 187 वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र/गोवंश वन्य विहार का निर्माण कराया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 118 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य मंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत 74 हजार से अधिक गोवंश इच्छुक गो-पालकों की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। प्रदेश में अद्यतन कुल 5,206 आश्रय स्थलों में लगभग 5.58 लाख गोवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं।

प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों की उपलब्धता का सदुपयोग करते हुए अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन के माध्यम से मत्स्य पालकों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कुल 6.9 लाख मी0 टन का रिकार्ड मत्स्य उत्पादन हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3 हजार हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व 300 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन/वितरण का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 02 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जा रहा है।

प्रदेश में बागवानी के विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालित किया जा रहा है। किसानों को नगदी फसलों जैसे आलू और केले की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, पान की खेती, मशरूम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन हेतु राजकीय केन्द्रों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा कौशल अभिवृद्धि के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति-2017 लागू की गयी है। रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सुलभ कराए जाने हेतु विभिन्न योजनाएं यथा माडल चाकी कीट पालन, शहतूत उद्यानों की स्थापना, रेशम विकास, जागरूकता एवं प्रशिक्षण तथा सिल्क समग्र योजना इत्यादि संचालित की जा रही है।

मेरी सरकार प्रदेश के किसानों को सिंचाई की अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। विगत तीन वर्षों में कुल 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, जिनसे 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 09 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है जिनसे 16.41 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40.48 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

किसानों को सिंचाई हेतु डीजल/विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान (पीएम-कुसुम) योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा रही है।

प्रदेश के लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य श्रेणी के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग, सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल, वर्षा जल संचयन हेतु तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार इत्यादि योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त किसानों को निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत रु0 10 हजार प्रति लाभार्थी की सहायता उपलब्ध कराकर लाभान्वित कराया जा रहा है।

कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत अधिकतम रु0 5.00 लाख दिए जाने का प्रावधान है जिससे बटाईदार भी आच्छादित होंगे। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रभावित जनपदों के लगभग 3.48 लाख कृषकों को 113.20 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की गई।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत 'हर घर जल' उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र के सभी ग्रामों को शुद्ध पाइप पेयजल से आच्छादित करने के लिए योजनाएं स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो गुणता प्रभावित बस्तियाँ हैं, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित बस्तियाँ हैं, आकांक्षात्मक जनपद हैं और अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम हैं तथा अन्य छूटे हुए ग्रामों में भी पाइप पेयजल योजना प्रारम्भ करने के लिए पूरे प्रदेश के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बिड के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर लिया गया है और लगभग 30 हजार ग्रामों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है।

निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक इन योजनाओं का रख-रखाव भी कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा।

मुख्य मंत्री आर0 ओ0 पेयजल योजना के अन्तर्गत बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल जापानी इन्सेफेलाइटिस/एक्यूट इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित 07 जनपदों तथा बुन्देलखण्ड के क्षेत्र के 07 जनपदों अर्थात् कुल 14 जनपदों के 28 हजार से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर क्षमता के 'अल्ट्रा फिल्ट्रेशन' तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयन्त्रों का अधिष्ठापन किया जा रहा है।

गंगा की निर्मलता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। पावन गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज सम्बन्धी 44 परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। भू-गर्भ जल संसाधनों से सम्बन्धित चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन), 2019 लागू किया गया है।

कानपुर व आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत हो चुकी है, जिनके प्राथमिक सेक्शन का ट्रायल रन दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक लक्षित है। गोरखपुर लाइट मेट्रो परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है तथा प्रयागराज एवं वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना के डी0पी0आर0 की कार्यवाही प्रगति पर है।

मेरी सरकार प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास तथा कमजोर एवं मध्यम वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत् है। इस हेतु शासकीय संस्थाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बिल्डर्स व डेवलपर्स को भी अच्छी गुणवत्ता की आवासीय कॉलोनियों एवं आवासों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। अमृत योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 60 नगरों हेतु जी0आई0एस0 आधारित महायोजनाएं तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 चयनित शहरों में लगभग रु0 20 हजार करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहाँपुर, मथुरा वृन्दावन, फिरोजाबाद एवं गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का कार्य प्रशस्त है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के हर आवासहीन व्यक्ति को अपनी छत प्रदान करने के स्वप्न को साकार करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी एवं मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.27 करोड़ व्यक्तिगत एवं 45 हजार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत प्रदेश के 651 नगरीय निकाय क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया से प्रमाणित ओ0डी0एफ0 हैं।

यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा 11,909 वार्डों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है तथा स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में वर्ष 2019 में 10वें स्थान के सापेक्ष वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को उनके आवासीय स्थल के निकट ही श्रमपरक् रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए 3,500 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष 2,958 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में कुल 1.03 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, जो पूरे देश में सर्वोच्च है।

आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 16 हजार पंचायत भवनों की मरम्मत कर पुस्तकालय सेवा केन्द्र के रूप में विकास कराया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 हजार से अधिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत कराई गई है।

प्रदेश में यातायात को सुगमता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 5,400 कि0मी0 के 67 नए राज्य मार्ग घोषित किए गए हैं।

प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन चौड़े मार्ग से व समस्त तहसील एवं ब्लाक मुख्यालयों को दो लेन चौड़े मार्ग से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर प्रदेश की सीमा पर प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया जा रहा है।

सफल वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण हेतु मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से प्रदेश के वनावरण तथा वृक्षावरण में 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कठिन समय में भी दिनांक 05 जुलाई, 2020 को वृक्षारोपण महा अभियान में सभी विभागों व जन सहयोग से एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधारोपण किया गया तथा वर्तमान वर्ष में 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। व्यापक पर्यावरणीय जागरूकता हेतु पूरे प्रदेश में विभिन्न पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में ईको पर्यटन

को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा नए ईको-पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हित कर विकसित किया जा रहा है, जिससे भारी संख्या में पर्यटक यहां आकर्षित हुए हैं।

प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 02 अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एम्स) क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर पठन-पाठन तथा आउटडोर सेवाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं। जनपद वाराणसी में भी 'एम्स' की तर्ज पर चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है। इस विश्वविद्यालय से प्रदेश के राजकीय व निजी क्षेत्र के मेडिकल व डेण्टल कॉलेजों को तथा निजी क्षेत्र के नर्सिंग व पैरा मेडिकल डिग्री कोर्सेज को सम्बद्धता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज/संस्थान संचालित थे जबकि वर्तमान में 30 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज/संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश की प्रथम रोबोटिक सर्जरी प्रारम्भ की गयी है। प्रदेशवासियों को सुपर स्पेशिएलिटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राजकीय मेडिकल कालेज झाँसी, गोरखपुर, मेरठ व प्रयागराज में सुपर स्पेशिएलिटी ब्लाक की स्थापना की गयी है तथा कानपुर व आगरा में भी सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक निर्माणाधीन हैं।

ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में प्रदेश में 174 जिला स्तरीय चिकित्सालय, 66 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 4,213 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित एवं क्रियाशील हैं।

प्रदेश के 354 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा संक्रामक रोगों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के प्रभावी उपचार हेतु 16 पीडियाट्रिक इन्टेन्सिव केयर यूनिट (पीकू), 15 मिनी पीकू तथा 177 इन्सेफेलाइटिस उपचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन सब प्रयासों से 'एक्यूट इन्सेफेलाइटिस' रोगियों की संख्या वर्ष 2016 के 3,911 के सापेक्ष वर्ष 2020 में 1,624 रह गयी है। इसी अवधि में एक्यूट इन्सेफेलाइटिस के कारण होने वाली मृत्यु 641 से घटकर मात्र 79 रह गई है। वर्ष 2016 में जापानी इन्सेफेलाइटिस, एक्यूट इन्सेफेलाइटिस के कुल 442 रोगी व 74 मृत्यु के सापेक्ष 2020 में मात्र 95 रोगी चिन्हित व 09 मृत्यु हुई है। इस प्रकार मस्तिष्क ज्वर की बीमारी लगभग समाप्त प्राय है।

प्रत्येक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार आयोजित मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 26.79 लाख रोगी लाभान्वित हुए हैं तथा 66 हजार से अधिक गम्भीर रोगियों को उच्च केन्द्रों पर सन्दर्भित किया गया है।

मेरी सरकार प्रदेश में आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को भी विकसित करने के लिए प्रयासरत् है। इस हेतु जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अग्रेतर प्रदेश के सभी राजकीय आयुष महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। गैरसंचारी रोगों (मधुमेह, तनाव, उच्च रक्तचाप इत्यादि) को योग एवं प्राकृतिक उपचार के माध्यम से उपचारित करने एवं अन्य सामान्य रोकथाम हेतु आयुष चिकित्सालयों में लगभग 183 योग वेलनेस सेन्टर क्रियाशील हैं।

प्रदेश के असहाय, सुविधा विहीन, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को रु0 500/-प्रति लाभार्थी प्रतिमाह की धनराशि सीधे 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में अन्तरित की जा रही है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर रु0 30,000/-की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

'पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना' के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 27.46 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।

प्रदेश के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान के रूप में रु0 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को रु0 2,500/- प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जा रहा है तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/उपकरण क्रय हेतु रु0 10 हजार का अनुदान दिया जा रहा है।

प्रदेश में 3.80 लाख भूतपूर्व सैनिक एवं 64 हजार दिवंगत सैनिकों की पत्नियाँ हैं, जिनकी देख-रेख एवं समस्याओं के निराकरण हेतु मेरी सरकार कृतसंकल्प है। दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से उत्तर प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है तथा शहीद सैनिकों के नाम पर सड़कों के नामकरण एवं स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत पात्र सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर अनुमन्य धनराशि रु0 35 हजार से बढ़ाकर रु0 51 हजार कर दी गयी है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत एक लाख से अधिक जोड़ों के विवाह सम्पन्न कराए गए हैं।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक लाभार्थी को रु0 20 हजार का अनुदान दिया जा रहा है।

पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वृद्धजनों हेतु सभी 75 जनपदों में वृद्धाश्रमों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा मिशन शक्ति संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत 1535 थानों में हेल्पडेस्क की स्थापना की गयी है। बालिकाओं के प्रति जनमानस में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु **''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ''** योजना का संचालन किया जा रहा है।

**'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 श्रेणियों में रु0 15,000/-की सहायता प्रदान की जा रही है। ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु **'महिला शक्ति केन्द्र',** संकटग्रस्त महिलाओं को संस्थागत सहयोग एवं पुनर्वासन हेतु **'स्वाधार आश्रय गृह'** योजनाएं संचालित की जा रही हैं। निराश्रित महिलाओं को पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य तथा विधिक एवं परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु वृन्दावन, मथुरा में 1000 बेड्स की क्षमता के **'कृष्ण कुटीर आश्रय सदन'** का संचालन किया जा रहा है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना 06 माह से 06 वर्ष तक आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिससे 120.04 लाख बच्चे, 5.27 लाख गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे तथा 35.86 लाख गर्भवती एवं धात्री माताएं लाभान्वित हो रही हैं।

पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत् 08 लाख से अधिक छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना तथा 20 लाख से अधिक छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त 16 लाख से अधिक छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के चहुमुखी विकास एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाये जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा कौशल विकास सम्मिलित हैं।

मेरी सरकार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बच्चों को बेसिक शिक्षा की सुविधा हेतु लगभग 2.65 लाख विद्यालय संचालित हैं। शैक्षिक सत्र 2020-21 में परिषदीय व सहायतित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत लगभग 1.85 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् सभी परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध करने की व्यवस्था की गयी

है। गुणवत्तापरक् शिक्षा के संकल्प को सिद्ध करने हेतु लगभग 1.20 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की गयी है। परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को तकनीक आधारित शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 05 हजार स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प करते हुए इन्हें सभी आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किया जा रहा है।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के उद्देश्य से मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला के वृहद् कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण, व्हाट्सऐप क्लासेज व मिशन प्रेरणा यू-ट्यूब चैनल सम्मिलित हैं।

गुणवत्तापरक् माध्यमिक शिक्षा के द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा में सक्षम बनाने के लिए एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है।

संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कुल 1,151 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से 88.29 हजार छात्र-छात्राओं को संस्कृत शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्कूलबंदी की अवधि में विद्यार्थियों के हित में शैक्षिक सत्र 2020-21 में व्हाट्सऐप वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके अन्तर्गत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के 29.06 लाख ग्रुप बनाए गए तथा 67.73 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। दूरदर्शन के 'स्वयंप्रभा' चैनल के माध्यम से कक्षा 10 एवं 12 हेतु ई-कक्षाएं प्रारम्भ की गईं तथा कक्षा 10 एवं 12 हेतु ई-ज्ञान गंगा कार्यक्रम व कक्षा 9 एवं 11 हेतु ई-विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षणिक वीडियो का प्रसारण गतिमान है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश की कार्य योजना भाग-1 'ऑनलाइन शिक्षा नीति-शिक्षा में तकनीक का प्रयोग' में प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने हेतु प्रदेश में सहारनपुर, आजमगढ़ तथा अलीगढ़ में 03 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत 26 मॉडल राजकीय महाविद्यालय संचालित किए जा चुके हैं। महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ के लोकोपयोगी वचनों एवं उपदेशों को एकत्रित करके योगानुकूल सिद्धान्तों एवं प्रयोगों को जीवनोपयोगी कार्य तथा व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 'महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ' की स्थापना की गयी है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चिन्तन पर शोध कार्य हेतु प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गई है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री अबाध रूप से घर बैठे सुलभ कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, डिजिटल लाइब्रेरी में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं

में 134 विषयों के लगभग 01 लाख ई-कन्टेन्ट्स वर्तमान में उपलब्ध हैं। प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में तहसील/ब्लाक स्तर पर 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय में कम्प्यूटर के साथ-साथ वाई-फाई, इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी।

मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को साक्षात् प्रशिक्षण/ऑनलाइन प्रशिक्षण/सलाह दिए जाने हेतु प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो रहा है। जिसे अगले चरण में प्रत्येक जनपद स्तर पर भी स्थापित किया जाएगा।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैरियर काउन्सिलिंग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगारपरक् एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 के प्राविधानों के दृष्टिगत तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास से जुड़े हुए समस्त छात्र-छात्राओं को समस्त सेवाएं यथा-परीक्षा मूल्यांकन, भुगतान, काउंसिलिंग, प्रश्न बैंक, ऑनलाइन कन्टेन्ट, कक्षाएं, पुस्तकालय व रोजगार इत्यादि एकीकृत रूप से उपलब्ध कराए जाने के लिए 'यू-राइज पोर्टल' का विकास व क्रियान्वयन कर एक नवीन पहल की गई है। वर्ष 2021 से प्रदेश के डिग्री इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर दो बार आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जे0ई0ई0 (मेन) के माध्यम से कराया जाएगा।

युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष करते हुए उन्हें रोजगार/स्व-रोजगार से जोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार ने अपने कार्यकाल में 1.25 करोड़ युवाओं को रोजगार/स्व-रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा रोजगारपरक् दीर्घ एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार करने के क्रम में विभिन्न गुणवत्ता संवर्धन के कार्यों को कराया गया है। साथ ही साथ नए क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित कराया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है।

प्रदेश के 35 असेवित विधानसभा क्षेत्रों में नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिनके संचालित होने से 18 हजार नई सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध होंगी।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वन्यजीव इत्यादि के अनेकों स्थल विद्यमान हैं। प्रदेश के समग्र पर्यटन विकास हेतु वर्ष 2018 में नई पर्यटन नीति लागू की गयी है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न परिपथों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें रामायण परिपथ, बृज परिपथ, महाभारत परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, जैन परिपथ, बुद्धिस्ट परिपथ आदि प्रमुख हैं। इन परिपथों में आने वाले सभी पर्यटक स्थलों के उच्चीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। रामायण परिपथ (चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर) के पर्यटन विकास के कार्य किए जा रहे हैं। वाराणसी के प्रसिद्ध मन्दिरों पर आधारित 'पावन पथ वेबसाइट' का निर्माण किया गया है। मण्डलीय कारागार गोरखपुर में पं0 रामप्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक तथा चौरी-चौरा स्थित शहीद स्मारक स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चौरी-चौरा के शहीदों के सम्मान में मेरी सरकार द्वारा इस वर्ष शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है जिसका वर्चुअल शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया।

मेरी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में देसी पर्यटकों के आगमन के दृष्टिकोण से भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 में द्वितीय स्थान से वर्ष 2020 में प्रथम स्थान पर आ गया है। प्रदेश में इको-टूरिज्म के अन्तर्गत पीलीभीत टाइगर रिजर्व एवं जनपद चन्दौली स्थित चन्द्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य के अतिरिक्त काशी विश्वनाथ धाम, विन्ध्यवासिनी धाम, शुक्रतीर्थ, बृज क्षेत्र, नैमिष धाम, चित्रकूट धाम आदि का सुरुचिपूर्ण ढंग से विकास कराया जा रहा है।

मेरी सरकार उत्तर प्रदेश की गौरवमयी धरोहर एवं परम्पराओं तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के समुचित संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के जीविकोपार्जन में असमर्थ कलाकारों को आर्थिक सहायता के रूप में 02 हजार रुपये मासिक की पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में थारू जनजाति से सम्बन्धित संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु इमलिया कोडर, जनपद बलरामपुर में एक संग्रहालय की स्थापना, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर का सुदृढ़ीकरण, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रदर्शनी की स्थापना के कार्य कराए जा रहे हैं। देश की महान विभूतियों की स्मृति को जनमानस में बनाए रखने के उद्देश्य से उनकी प्रतिमायें निर्मित कराई गई हैं। महाराजा सुहेल देव की कर्मभूमि चित्तौरा, जनपद बहराइच में उनके स्मारक का निर्माण एवं भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से आरम्भ हो गया है।

सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने एवं अतिक्रमण-कर्ताओं/भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु प्रदेश में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया

गया है। इस अभियान के अन्तर्गत लगभग 67.79 हजार हेक्टेयर भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है तथा 2,339 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए 182 भू-माफियाओं को जेल में निरुद्ध किया गया है।

ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने के लिए स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों में ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का वितरण सम्बन्धित भू-स्वामियों को किया जा रहा है।

उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि करते हुए राजस्व संहिता-2006 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं को मालिकाना हक के अनुकूल बनाया गया है। डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त ग्रामों के भू-मानचित्रों का डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गमन की एकीकृत व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। आवेदकों को 10 दिन में उनके पते पर ड्राइविंग लाइसेन्स भेजने की व्यवस्था की गयी है। प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र निर्गमन की व्यवस्था को वाहन सॉफ्टवेयर से जोड़कर ऑनलाइन कर दिया गया है। मोटर दुर्घटना दावों से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु प्रदेश में कुल 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 67 अधिकरण क्रियाशील हो चुके हैं।

प्रदेश के 26 हजार से अधिक असेवित ग्रामों को परिवहन बस सेवा से सेवित किया गया है। रक्षाबंधन के पर्व पर महिला यात्रियों को परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था से खनन परिहार स्वीकृत किए जाने हेतु खनन नीति, 2017 प्रख्यापित की गयी है। उपखनिजों के समस्त खनन पट्टों को पारदर्शी प्रक्रिया ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत करने की व्यवस्था की गयी है। खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के कल्याणार्थ उक्त निधि से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

खेलों के विकास एवं उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित किये जाने की नीति प्रख्यापित की गयी है। जनपद मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 19 जनपदों के स्टेडियम में 16 खेलों के 890 खिलाड़ियों हेतु 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचालित हैं। नवागन्तुक खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर एवं कुशल प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में क्रमशः लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा जनपदों में 03 स्पोर्ट्स कालेज स्थापित हैं। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों एवं स्पोर्ट्स कालेज के खिलाड़ियों को आवास, भोजन, खेल किट, उपकरण, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना का विकास कर युवाओं को राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के अवसर सुलभ कराए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण एवं ओपेन जिम की स्थापना करायी जा रही है।

मेरी सरकार का प्रयास है कि लखनऊ में माननीय सदस्यगण को उपयुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए। इस हेतु दारुलशफा परिसर में 40 आवासों का एक दस मंजिला बहुखण्डीय भवन निर्मित किए जाने की योजना स्वीकृत की गई है। लखनऊ आने वाले माननीय अतिथियों की सुविधा हेतु बटलर पैलेस कालोनी में 73 कक्षों के एक उच्च स्तरीय अतिथि गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार दिल्ली में प्रदेश के तीसरे 32 कक्षों के अतिथि गृह का निर्माण भी पूर्ण करा लिया गया है।

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 की धारा-3 के अनुसार प्रदेश के विभिन्न विभागों की कुल 340 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं तथा ऐसी सेवाओं से सम्बन्धित जन सामान्य से प्राप्त आवेदन-पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

मेरी सरकार श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिकों को देय सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनके हितों के संरक्षण-संवर्धन के लिए कृत संकल्प है। अवमुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु सभी 75 जनपदों में रु0 10 लाख की कार्पस निधि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु नया सवेरा योजना के अन्तर्गत 23,482 बाल श्रमिकों का पुनर्वास कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया है।

प्रदेश के 41 जनपदों में संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 23.58 लाख बीमांकित कामगार योजना से आच्छादित हैं, जिन्हें योजना के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालयों/औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में स्थापित 06 औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं 20 श्रम न्यायालयों द्वारा वर्ष 2020 में 754 औद्योगिक विवादों का निस्तारण किया गया है।

प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 प्रख्यापित किया गया है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाए गए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत 7.02 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा 5.12 करोड़ खातों के रूपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 का

आय-व्ययक शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात् मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे तथा इस सदन की उच्च गरिमा व पवित्रता को बनाये रखेंगे।]

**श्री अध्यक्ष**-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ व सुखद जीवन की मंगलकामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने मध्य आने और सरकार के कार्य-कलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया है।

## महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विलम्ब से प्रारम्भ होने का कारण बताते हुए दुबारा सत्राहूत कर अभिभाषण पुनः पढ़े जाने की मांग

**नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)**-

अध्यक्ष जी, प्रतियां तो दिलवाइए।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'**-

अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार हुआ कि महामहिम राज्यपाल महोदया पांच मिनट विलम्ब से आईं और सात मिनट विलम्ब से उनका अभिभाषण शुरू हुआ। मैं मानती हूं, मेरा तो अनुभव बहुत कम है लेकिन जो वरिष्ठ लोग हैं जितना मैंने पढ़ा है यह पहली बार हुआ है कि पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी थी कि महामहिम राज्यपाल को समय से आमंत्रित करते। मैं यह मांग करती हूं कि जो विलम्ब हुआ है, उसमें सदन को दुबारा आहूत किया जाए और महामहिम राज्यपाल महोदय को दुबारा आमंत्रित किया जाए और इस अभिभाषण को दुबारा पढ़ा जाए, यह मेरा प्रस्ताव है।

**श्री अध्यक्ष**-

ऐसा कोई विलम्ब नहीं हुआ।

**श्री राम गोबिन्द चौधरी**-

अध्यक्ष जी, घड़ी तो झूठ नहीं बोलेगी। घड़ी के हिसाब से सात मिनट बाद महामहिम राज्यपाल महोदय आईं। क्यों आई ? वह पढ़ना नहीं चाहती थीं। उसमें कुछ था ही नहीं वह तो माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमन आप बहुत रिक्वेस्ट किए हैं तो मजबूरी में यहां पर आई हैं उनकी मजबूरी को देखते हुए और महिला के सम्मान को देखते हुए हम लोगों ने अभिभाषण का बहिष्कार किया। जैसा कि माननीय सदस्य मोना जी ने कहा है कि यह सही है कि अभिभाषण का टाइम निश्चित होता है। बजट का टाइम निश्चित होता है। उसमें एक मिनट इधर-उधर नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकता है। क्या अभिभाषण को पढ़ा हुआ नहीं मानना चाहिए उसके बाद आप भी पढ़ दिए। कम से कम आपको नहीं पढ़ना चाहिए। यह सारे लोगों की मांग है कि इसको न पढ़ा हुआ मानकर अलग से तारीख तय करके महामहिम का अभिभाषण सदन में पढ़वाया जाए।

**श्री अध्यक्ष**-

ऐसा नहीं हुआ है।

***संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**-

अध्यक्ष जी, यह जो माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय कांग्रेस की नेता ने जो बात उठाई है। दरअसल इनका सुशासन से और विकास से कोई मतलब तो है नहीं। बाहर महिलाओं की बात करते हैं और यहां महिला राज्यपाल जी का अपमान किया। बहिष्कार करके बहिष्कार अगर सम्मान है तो फिर अपमान क्या है ? इनके पास विकास के लिए सुशासन के लिए कोई इनकी डायरी में कोई स्थान नहीं है। इसलिए इन्होंने बड़ा शोर मचाया ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो दोहराए नहीं जा सकते हैं। जितना अपमानजनक तरीका हो सकता था उतना सब कुछ अपनाया गया सदन में हम तो इनका हमेशा सम्मान करते हैं इसलिए नहीं बोलते लेकिन यह आज फिर खड़े हो गए। इनको कृपा करके इस बात की शिक्षा जरूर दी जाए कि सुशासन और विकास जितना चार साल में हुआ उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। जबकि एक साल से परिस्थिति इतनी भयानक थी पूरी महामारी को इस प्रदेश ने बेहतर तरीके से रोका इसके लिए आपको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। बधाई देना चाहिए। आज यूरोप और अमेरिका अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर गर्व करते हैं, वहां पांच लाख से ज्यादा लोग मर गए। 33 करोड़ की आबादी और 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है हालांकि यह भी न होता तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन केवल 8,700 लोगों की उत्तर प्रदेश में डेथ हुई है। इसके फैलाव को जिस तरीके से रोका है, पूरे प्रदेश की जनता बधाई दे रही है। इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए इनसे कहा जाए कि कम से कम सुशासन और विकास पर विश्वास करना सीखें इतनी बात मुझे कहनी थी।

**श्री राम गोबिन्द चौधरी**-

यहां पर विकास की तो बात ही नहीं हुई है। आपसे केवल समय पर बात हुई थी कि महामहिम राज्यपाल जो यहां अभिभाषण पढ़ने आईं, उन्होंने 11 बजे का समय स्वयं निर्धारित किया था। सारे माननीय सदस्य यहां बैठे थे। वह सात मिनट लेट आईं। चार साल में न कोई पुल बनाया गया, न कोई हॉस्पिटल बनाया गया, न कोई स्कूल बनाया गया और न ही कोई सड़क बनायी तो फिर विकास कहाँ पर हुआ है। ये हमारे मित्र हैं इसलिए हो सकता है कि इनके क्षेत्र में विकास हो गया हो और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के हैं इसलिए हम लोगों के क्षेत्र कोई विकास नहीं हुआ है। मैंने केवल टाईम की बात करी है लेकिन इन्होंने पूरा भाषण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दे डाला कि हम बिना विकास करने वाले हैं और ये विकास करने वाले हैं। आप टाईम पर आइये और बताइये कि 7 मिनट विलम्ब से महामहिम राज्यपाल महोदया आईं कि नहीं ? राज्यपाल महोदया 7 मिनट विलम्ब से आई हैं इसलिए मा0 अध्यक्ष जी इस अभिभाषण को रद्द किया जाय और पुनः महामहिम राज्यपाल महोदया से समय निर्धारित कराया जाय तथा पुनः अभिभाषण टाईम से पढ़ा जाय, उसके बाद आगे की कार्यवाही चलायी जाय। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, समस्या यह है कि इनका समय खराब चल रहा है और इनका समय अब ठीक होने वाला नहीं है। प्रदेश का समय ठीक चल रहा है।

**श्री अध्यक्ष-**

अब अगली मद लेते हैं।

**[12:40] उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020†**

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-19 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020†**

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-20 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020†**

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-21 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020†**

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-22 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020†**

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-23 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021†**

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021†**

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा

दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक

22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वंतत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा

दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त,

2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक

22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर

प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

## उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्ध और निस्तारण) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्ध और निस्तारण) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की

अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति

दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवाँ अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वंतत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वंतत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल

महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक

28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी

दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का इक्तीसवां अधिनियम बन गया।

**कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

**श्री अध्यक्ष-**

मद संख्या-14 व 15 में कुछ नहीं है। अब मद सं0-16

**कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव**

**श्री अध्यक्ष-**

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2021 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 18 फरवरी, 2021 को कोई सूचनाएं न ली जायं तथा प्रश्नकाल न हो।

2-दिनांक 19 फरवरी, 2021 को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं ली जायं।

3-दिनांक 19 फरवरी, 2021 के स्थान पर दिनांक 22 फरवरी, 2021 से मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ की जाए।

4-दिनांक 22, 23 व 24 फरवरी, 2021 को नियम-56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

5-दिनांक 22 फरवरी, 2021 को प्रश्नकाल न हो।

तद्नुसार दिनांक 18 फरवरी, 2021 से दिनांक 10 मार्च, 2021 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

## फरवरी, 2021

18 गुरुवार **1-11:00 बजे पूर्वाह्न**

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष माननीया राज्यपाल का अभिभाषण।

**2-12:30 बजे अपराह्न**

(1) माननीया राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

19 शुक्रवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

20 शनिवार<br>21 रविवार } बैठक नहीं होगी।

22 सोमवार **1-11:00 बजे पूर्वाह्न**

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।

2-माननीया राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

23 मंगलवार माननीया राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

| | |
|---|---|
| 24 बुधवार | 1-माननीया राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।<br>2-वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। |
| 25 गुरुवार | वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। |
| 26 शुक्रवार | बैठक नहीं होगी। (हजरत अली के जन्मदिवस का अवकाश) |
| 27 शनिवार<br>28 रविवार | बैठक नहीं होगी। |

## मार्च, 2021

| | |
|---|---|
| 01 सोमवार | वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। |
| 02 मंगलवार | वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। |
| 03 बुधवार | वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। |
| 04 गुरुवार | वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। |
| 05 शुक्रवार | 1-वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।<br>2-असरकारी दिवस (आधा दिन)। |
| 06 शनिवार<br>07 रविवार | बैठक नहीं होगी। |
| 08 सोमवार | वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। |
| 09 मंगलवार | वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। |
| 10 बुधवार | 1-वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।<br>**2-3:00 बजे अपराह्न**<br>उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। |

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि ''कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष-**

मद संख्या-17 में कुछ नहीं है। अब मद सं0-18

## उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021†

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूं।

## [01:03] कोरोना महामारी के दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया को कोरोना प्रोटोकाल के अन्तर्गत सदन में प्रवेश की अनुमति दिये जाने की मांग

**नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

अध्यक्ष जी, हम लोग तो अभिभाषण का बहिष्कार किये। लेकिन यह गैलरी के लोग क्यों बहिष्कार किये। जो चौथा स्तम्भ है लोकतंत्र का, प्रेस के लोग एक भी दिखायी नहीं दिये। महामहिम आयीं तब चाहे अब आप आये हैं तब। बहिष्कार किये हैं कि आपने आने नहीं दिया। कोई कारण होगा। या वह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किये होंगे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 16 मार्च, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

और आपके पढ़कर सुनाने का। या किन्हीं कारणवश आप उनको अनुमति नहीं दिये होंगे। इसका मैं कारण जानना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**-

मैं बता रहा हूं। पिछली बार जब सदन की बैठक आहूत करने का विषय आया था तो कोरोना चरम पर था और उस समय देश की विधान सभाओं के सामने चुनौती थी कि कैसे बैठक बुलायेंगे। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पहली बार बैठक हुयी। तो काफी होमवर्क करना पड़ा। कहां मा0 सदस्य बैठेंगे, कहां मा0 पत्रकार बैठेंगे, कहां पानी रहेगा, कहां दवाई रहेगी। कैसे सुनने वाले यंत्र से हमारे पास बात पहुंचेगी।

आज भी कुछ मा0 सदस्य इशारा कर रहे थे कि यन्त्र कम ठीक है। सारी व्यवस्थाओं को चाक-चौबन्द करने की दृष्टि से एक निर्णय यह भी लिया गया था जिसमें पत्रकारों की भी सहमति थी कि पत्रकारों के लिए अलग व्यवस्था कर दी जाए और उस हिसाब से यह व्यवस्था की गयी थी। बॉयकाट न आपने किया है और न ही उन्होंने किया है। हम लोग आपके बॉयकाट को बॉयकाट नहीं मानते हैं।

***श्री लालजी वर्मा**-

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ चुने हुए पत्रकार बंधुओं को यहां पर बैठने की अनुमति दे दीजिए, जिससे वह सदन की कार्यवाही को सही ढंग से देखें, उसकी रिपोर्टिंग करें और वह जनता के बीच में जाए। आप कुछ लोगों को अनुमति दे सकते हैं।

**श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'**-

मान्यवर, कुछ पत्रकारों को अनुमति दे दी जाए।

**श्री राम गोविन्द चौधरी**-

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे मा0 मुख्य मंत्री जी की बगल वाली सीट पर सफेद पट्टी लगी हुई है जिससे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उनकी बगल में नहीं बैठ सकते हैं। उसी तरह से पत्रकार बंधुओं की सीट पर भी सफेद पट्टी लगी हुई है। जितने भी पत्रकार बंधुओं की बैठने की अनुमति है, उतने पत्रकार बंधुओं को बैठने की अनुमति दे दी जाए।

**श्री अध्यक्ष**-

प्रारम्भ से ही ए0एन0आई0, पी0टी0आई0 और डी0डी0 न्यूज को कवरेज के लिए अनुमति है, दूरदर्शन सजीव प्रसारण कर रहा है। ए0एन0आई0 सबको जो इच्छुक समाचार माध्यम हैं उनको प्रतिपल की सूचनाएं पहुंचा रहा है। इसके अलावा जो आपने बात बताई है हम लोग इस पर नेताओं की बैठक या कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में विचार कर लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोरोना काल में सभी मा0 सदस्यों के लिए जलपान की व्यवस्था कैंटीन में की गयी है और यह जलपान निःशुल्क है।

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 07 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 18 फरवरी, 2021

**प्रदीप कुमार दुबे,**

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0-15 विधान सभा (16)-06-05-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।